

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

/वादी

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण



बनाम

रामचन्द्र वगैरह

प्रकरण : प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं.

/2019

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जाशी हुये।
2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकार/अधिवक्ता हाजिर नहीं आये। प्रकरण 13.4.2022 से तलबी स्तर पर स्तर पर लम्बित चल रहा है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तलबी हेतु वकील वादी/प्रार्थी को अने अवसर दिये गये हैं। परन्तु वकील वादी/प्रार्थी ने आदिनांक तक तलबी नहीं कराई है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में वकील वकील प्रार्थी/वादी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये अन्तिम अवसर उपस्थिति एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी की जाने हेतु प्रदत्त किया जाता है। आगामी तारीख पेशी पर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से की जाकर डिलीवर्ड रिपोर्ट पेश करना सुनिश्चित करे अन्यथा प्रकरण सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत खारिज किया जावेगा। मिसल दिनांक 29.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप(दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	
2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकार/अधिवक्ता हाजिर नहीं आये। प्रकरण 13.4.2022 से तलबी स्तर पर स्तर पर लम्बित चल रहा है। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की तलबी हेतु वकील वादी/प्रार्थी को अनेक अवसर दिये गये हैं। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में वकील वकील प्रार्थी/वादी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये अन्तिम अवसर उपस्थिति एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी की जाने हेतु गत तारीख पेशी 27.10.2025 को प्रदत्त किया गया था तथा साबिका आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने की हिदायत दी गई थी। परन्तु वकील वादी/प्रार्थी ने आदिनांक तक तलबी नहीं कराई है। अतः वकील वादी/प्रार्थी का वाद/प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 5 के तहत अमद तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">  (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	